न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 2720–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 4/अ–6/2014–14/अपील

.....

1–शंकरलाल चौरे आत्मज स्व0श्री बालमुकुंद चौरे,
निवासी वार्ड नं.5 नागपुर रोड, पुरानी इटारसी,
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0
2–विष्णुप्रसाद चौरे आत्मज स्व0श्री बालमुकुन्द चौरे,
निवासी जमानी रोड, पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
3–चन्दनलाल चौरे आत्मज स्व0श्री बालमुकुन्द चौरे,
निवासी वार्ड नं.5 नागपुर रोड, पुरानी इटारसी,
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती फूलवती बाई चौधरी पुत्री स्व0श्री सुंदरलाल चौरे,
पत्नी श्री जगदीश चौधरी
निवासी ग्राम चॉदौन तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
2–श्रीमती सविता बाई चौरे पुत्री स्व0श्री सुन्दरलाल चौरे
पत्नि श्री रमेश चौरे, निवासी ग्राम तारारोड़ा
3–बबीता बाई चौरे पुत्री स्व0श्री सुन्दरलाल चौरे,
पत्नी श्री रामलाल चौरे,
निवासी ग्राम काजलखेड़ी तहसील बाबई जिला होशंगाबाद
4–श्रीमती गणेशीबाई चौधरी पुत्री स्व0श्री सुन्दरलाल चौरे,
पत्नी श्री प्रेमनारायण चौधरी, निवासी ग्राम तारारोड़ा
5–श्रीमती राजमणी चौधरी पुत्री स्व0श्री सुन्दरलाल चौरे
पत्नी श्री ठाकुरदास चौधरी
निवासी ग्राम सनखेडा, तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
6– श्रीमती शकुनबाई चौरे पुत्री स्व0श्री सुन्दरलाल चौरे
पत्नी श्री विनयकुमार चौरे
निवासी ग्राम बम्हनगॉव तहसील व जिला होशंगाबाद
7–श्रीमती कलाबाई पटेल पुत्री स्व0श्री बालमुकुन्द चौरे
पत्नि श्री नारायणदास पटेल
निवासी जमानी रोड, पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

..... अनावेदिकागण

श्री जी0डी0अग्रवाल, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री सी.के.पटेल, अभिभाषक–अनावेदिका क्र.1 लगायत 6
श्री जे.पी.शुक्ला, अभिभाषक–अनावेदिका क्र.7

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/3/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–10–2003 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 28–7–2014 को लगभग 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–6/14–15/अपील दर्ज कर दिनांक 20–5–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल यह लिखकर आदेश पारित किया गया है कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है और अपील में उन्हें नहीं सुना जाता है तो वह न्याय पाने से वंचित रहेंगे, जबकि उन्हें सकारण आदेश पारित करना चाहिये था कि विलम्ब क्यों क्षमा किया जा रहा है

इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है ।

(2) अनावेदिका कमांक 2 लगायत 6 की मॉ गंगाबाई द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 109 एवं 110 सहपठित धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 7–2–14 को उद्घोषणा प्रकाशित कराई गई है, जिस पर अनावेदक कमांक 2 के हस्ताक्षर है और अन्य अनावेदिकागण के भी हस्ताक्षर है । इससे स्पष्ट है कि अनावेदिकागण को दिनांक 7–2–2014 को ही तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हो गई थी, इसके बावजूद भी उनके द्वारा 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदिकागण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं है, इसलिये उन्हें अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं लेने से अपील इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधि विपरीत एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है क्योंकि अनावेदिका कमांक 1 लगायत 6 को प्रारंभ से ही तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी रही है ।

तर्क के समर्थन में 2003 आरएन 183 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदिका कमांक 1 लगायत 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लिये जाने के संबंध में है, उससे पूर्व अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र का निराकरण किया जाना विधिसंगत है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है और इस संबंध में आवेदकगण की ओर से उठाया गया आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदिकागण को तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है और यदि उन्हें अपील में नहीं सुना जाता है तो वे न्याय से वंचित रह जायेंगे, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है और वैसे भी अनावेदिकागण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे हितबद्ध पक्षकार है और तहसील न्यायालय ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा संबंधी पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

5/ अनावेदिका कमांक 7 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि में उभयपक्ष का 1/6 – 1/6 के मान से हिस्सा एवं स्वत्व है, परन्तु आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही बटवारे में भूमि दी गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण की माता गंगाबाई सहभूमिस्वामी है और अनावेदकगण उनकी पुत्रियॉ हैं, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा प्रकरण में अनावेदकगण को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, जबकि वे गंगाबाई के पति स्वर्गीय सुदंरलाल की पुत्रियॉ होकर वैध वारिसान है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–05–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर